उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 19/2018/936/सत्रह-म-2018-6-9(320)/2016

लखनऊ दिनांक 22 जून, 2018

<u>कार्यालय- आदेश</u>

जनपद सोनभद्र स्थित श्रेणी-1 के धंधरौल जलाशय के पूर्व ठेकेदार श्री मुश्ताक अहमद पुत्र स्व0 इशहाक अहमद निवासी पूर्व मोहाल, हामिदनगर रार्बटस गंज सोनभद्र के पक्ष में ठेके की अवशेष धनराशि/ किश्त रू0 49,27,905/- की वसूली को माफ किये जाने के सम्बंध में मध्यस्थता समिति के सदस्य के रूप में श्री एन0एस0रहमानी तत्कालीन मुख्य महाप्रबन्धक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ सम्प्रति प्रतीक्षारत /सम्बद् मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत की गयी अनियमित आख्या/ संस्तुति के आरोप पर शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1089/सत्रह-म-2017-6-9(320)/2016 दिनांक 30 जून,2017 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था तथा कार्यालय आदेश संख्या-1098/सत्रह-म-2017-6-9(320)/2016 दिनांक 30 जून,2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2- प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच हेतु शासन के कार्यालय आदेश् संख्या-1862/सत्रह-म-2017-6-9(320)/2016 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 द्वारा नामित जॉच अधिकारी श्री राहुल सिंह तत्कालीन विशेष सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जॉच आख्या शासन में प्रस्तुत की जा चुकी है,जिस पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

3- अतएव श्री राज्यपाल,अनुशासनिक कार्यवाही को यथावत प्रचलित रखते हुए विभागीय कार्यहित में श्री एन0 एस0 रहमानी उप निदेशक मत्स्य सम्प्रति सम्बद्ध मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को सेवा में बहाल करते हुए उप निदेशक मत्स्य वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

4- उक्त अधिकारी अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं मत्स्य निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 19/2018/ 936/सत्रह-म-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, लखनऊ /वाराणसी मण्डल ।
(4) जिलाधिकारी,लखनऊ/ वाराणसी ।
(5) निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/ वाराणसी ।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) सम्बंधित अधिकारी द्वारा निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in